न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 65/2023 **अनवान** कुम्भाराम बनाम राज0 सरकार (तहसीलदार तिंवरी)

दिनांक 14.11.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी ओसिया (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 के तहत पारित आदेश कमांक राजस्व/कोर्ट/2021/75 दिनांक 18.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र मय श0प0 न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट का मुख्यतः यह कथन यह है कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील तिंवरी के ग्राम डऊकिया का बास के खसरा नं0 3039/1, 3041, 3042, 3043, 3044, 3050, 2407, 2396 की कुल रकबा भूमि में से उल्लेखित हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। जिसमें अपीलांट की ख0नं0 3039/1 रकबा 1.2141 है0 भूमि में से 0.0505 है0 भूमि में से नया रास्ता काटा गया है। मौके पर कोई रास्ता चालू नही है। अपीलांट की भूमि में पूर्व से ही तिंवरी रामदेव रोड स्टेट हाईवे चल रहा है, जिसमें 9 बीघा भूमि उक्त हाईवे में चली गई। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलाधीन आदेश धारा 131 व 136 आरएलआर के प्रावधानों के विपरित है। रास्ते के प्रावधान धारा 251 व 251ए आरटीएक्ट में उपलब्ध है। उक्त आदेश अन्य खातेदारों की मिलीभगत से उन्हें फायदा पहुंचाने की नीयत से पारित किया गया है। ग्रा0पं0 का प्रस्ताव स्ताणीयों की ढाणी बस स्टेण्ड से चण्डालिया ग्रेवल सड़क तक था व ग्रेवल सड़क अपीलांट के खेत से पहले ही पूर्व दिशा में मुड जाती है, जिसे जानबूझ कर घुमाकर उक्त खसरान के पश्चिम में दर्शाया गया है। इसकी मौका फर्द अपीलांट के बाले-बाले तैयार की गई है। अतः अपीलांट के खसरान की हद तक अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह कथन किया कि उक्त आदेश ग्रा0पं0 महादेवनगर के प्रस्ताव सं0 2(1) पर तहसीलदार तिंवरी के आवेदन पर पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से यथावत रखा जावे, तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड पर का अवलोकन व मनन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथमतः अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही उनकी सहमती ली गई। द्वितीय अपीलांट का कथन है कि उसके खसरे में से पूर्व से ही तिंवरी रामदेव रोड स्टेट हाईवे चल रहा है, जिसमें 9 बीघा भूमि उक्त हाईवे में चली गई और प्रस्तावित मार्ग से उसके खसरान में से 0.0505 है0 भूमि गै0मु0 रास्ते में दर्ज की गई है। जो न्यायोचित प्रतीत नही होती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः राजस्व/कोर्ट/2021/75 दिनांक 18.10.2021 को अपीलांट के ख0नं0 3039/1 में से रास्ते के रूप में प्रस्तावित/दर्ज रकबा भूमि तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट एवं संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावें। निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

14.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर